न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 31 / 2025

अनवान : –

1. श्योकरण पुत्र पूराराम जाति मेघवाल निवासी थालड़का तहसील नोहर।

–प्रार्थी

बनाम्

1. सुगनचन्द पुत्र लिछमणराम जाति जाट निवासी थालड़का तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

उपस्थिति :–**श्री** नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **प्रार्थी**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 22/04/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 17 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के खाता स0 63 / 55 के प0न0 227 / 394 मु0न0 5 के किला न0 9 की 0.2530 हैक्ट, 10 की 0.2530 हैक्ट, 11, 12, 19 प्रत्येक की 0.2530 हैक्ट, 20 / 1 की 0.0890 हैक्ट, प0न0 227 / 396 मु0न0 17 के किला न0 12 / 2 की 0.080 हैक्ट कुल 1.3620 हैक्ट भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज है एवं रोही मौजा चक 17 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के खाता स0 73 / 60 के प0न0 227 / 394 मु0न0 5 के किला न0 6 की 0.2530 हैक्ट 7 की 0.2530 हैक्ट, 8 की 0.2530 हैक्ट, 13 / 2 की 0.1140 हैक्ट, प0न0 228 / 394 के किला न0 10 / 2 की 0.2270 हैक्ट, 11 / 2 की 0.2280 हैक्ट किला न0 20 / 1 की 0.2280 हैक्ट कुल 1.5560 हैक्ट भूमि अप्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

प्रार्थी अपने गांव से चलकर अप्रार्थी स0 1 के खेत में से प0न0 227 / 394 मु0न0 5 के किला न0 6 ता 8 मे चलकर अपने खेत के किला न0 9 में प्रवेश कर जाता है तथा प्रार्थी के खेत में आने जाने हेतु यही सबसे नजदीक व सुविधाजनक रास्ता है तथा प्रार्थी हमेशा से इसी रास्ता से अपने खेत में आवागमन करता है। उपरोक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही होने के कारण अप्रार्थी स0 1 रास्ता से आवागमन नही करने की धमकी देता है तथा प्रार्थी का हमेशा से ही इसी रास्ता से आवागमन करता रहता है तथा अप्रार्थी स0 1 प्रार्थी का आने जाने हेतु रास्ता बन्द कर देता है तो प्रार्थी का खेत में आवागमन बन्द हो जायेगा इसलिए प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में रास्ता स्वीकृत करवा पाने का अधिकारी है।

प्रार्थी ने अप्रार्थी को कई बार कहा की उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो अप्रार्थी स0 1 कुछ दिन तो आजकल करते रहे किंतु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.13 18:49:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि रोही मौजा चक 17 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के प0न0 227/394 मु0न0 5 के किला न0 6, 7, 8 में पूर्व से पश्चिम में एक एक गठठा रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश फरमावे।

प्रार्थना पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी अप्रार्थी संख्या संख्या 1 उपस्थित नही अतः अप्रार्थी स0 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की प्रार्थी अपने गांव से चलकर अप्रार्थी स0 1 के खेत में से प0न0 227/394 मु0न0 5 के किला न0 6 ता 8 मे चलकर अपने खेत के किला न0 9 में प्रवेश कर जाता है तथा प्रार्थी के खेत में आने जाने हेतु यही सबसे नजदीक व सुविधाजनक रास्ता है तथा प्रार्थी हमेशा से इसी रास्ता से अपने खेत में आवागमन करता है। उपरोक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही होने के कारण अप्रार्थी स0 1 रास्ता से आवागमन नही करने की धमकी देता है तथा प्रार्थी का हमेशा से ही इसी रास्ता से आवागमन करता रहता है तथा अप्रार्थी स0 1 प्रार्थी का आने जाने हेतु रास्ता बन्द कर देता है तो प्रार्थी का खेत में आवागमन बन्द हो जायेगा इसलिए प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में रास्ता स्वीकृत करवा पाने का अधिकारी है। रोही मौजा चक 17 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के प0न0 227/394 मु0न0 5 के किला न0 6, 7, 8 में पूर्व से पश्चिम में एक एक गठठा रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश फरमावे।

तहसीलदार नोहर द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की गई जो की शामिल मिसल की गई।

बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों एवं तहसीलदार नोहर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 17 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के खाता स0 63/55 के प0न0 227/394 मु0न0 5 के किला न0 9 की 0.2530 हैक्ट, 10 की 0.2530 हैक्ट, 11, 12, 19 प्रत्येक की 0.2530 हैक्ट, 20/1 की 0.0890 हैक्ट, प0न0 227/396 मु0न0 17 के किला न0 12/2 की 0.080 हैक्ट कुल 1.3620 हैक्ट भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज है एवं रोही मौजा चक 17 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के खाता स0 73/60 के प0न0 227/394 मु0न0 5 के किला न0 6 की 0.2530 हैक्ट 7 की 0.2530 हैक्ट, 8 की 0.2530 हैक्ट, 13/2 की 0.1140 हैक्ट, प0न0 228/394 के किला न0 10/2 की 0.2270 हैक्ट, 11/2 की 0.2280 हैक्ट किला न0 20/1 की 0.2280 हैक्ट कुल 1.5560 हैक्ट भूमि अप्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। किसी भी खातेदार काश्तकार को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिए रास्ता दिया जाना भी न्यायोचित है एवं तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट के अनुसार प0न0 227/394(5) किला न0 6, 7 व 8 के उत्तरी तरफ का प्रत्येक किला न0 1–1 गठठा पश्चिम से पूर्व की ओर आवागमन होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.13 18:49:32 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 17 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के प0न0 227/394 मु0न0 5 के किला न0

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

6, 7, 8 में पूर्व से पश्चिम में एक एक गठठा रास्ता भूमि में रास्ता स्वीकृत किया जाता है। यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तहसीलदार नोहर को पालना हेतु पृथक से आदेश जारी किया जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक ...22/04/2025... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.13 18:49:32 IST
Reason: SelfAttested